



Neutral Citation No. - 2026:AHC:29310

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 3997 वर्ष 2026

प्रेमबहादुर सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 11 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : विनोद कुमार यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विपक्षी पक्षकार को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी पक्षकार आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो आदेश में संशोधन या परिवर्तन चाहने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत प्रत्यर्थी संख्या 2/ आयुक्त आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को पुनरीक्षण संख्या 302/ए (कंप्यूटर केस संख्या सी202415000000050) को शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देना है।
4. मामला काफी समय से निचली अदालत के समक्ष लंबित है और काफी समय बीत चुका है लेकिन आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 2/ आयुक्त आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को उपरोक्त निगरानी को कड़ाई से कानून के अनुसार, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

10 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"